

**समाहरणालय, मुंगेर।**  
(जिला योजना कार्यालय)  
**आदेश**

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2014-15 हेतु माननीय स०वि०प० श्री संजय प्रसाद द्वारा अनुशंसित योजनाओं में से निम्नलिखित योजनाओं का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक-1572 दिनांक-30.12.2014 के द्वारा इस कार्यालय को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं।

सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित योजनाओं पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आलोक में अग्रलिखित शर्तों के साथ निम्न प्रकार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

क्र०	योजना का नाम	प्रखण्ड	तकनीकी स्वी० राशि	प्रशासनिक स्वी० की राशि	प्राक्कलन संख्या
1	2	3	4	5	6
01	कटघर में सामुदायिक भवन से अन्नु मिस के घर तक पी०सी०सी० निर्माण कार्य	सदर मुंगेर	301700.00	301700.00	MS002
02	गंगानगर में शवदाहगृह रोड से संजीत राय घर तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य	सदर मुंगेर	299300.00	299300.00	MS003
03	मिल्कीचक में स्व० फोदी यादव घर से ग्रामीण सड़क तक पी०सी०सी० निर्माण कार्य	सदर मुंगेर	252200.00	252200.00	MS005
04	खोजाबाजार में कासिम बाजार मेन रोड से श्री संजय शर्मा घर होते हुए ओम यादव समरसेबुल तक पी०सी०सी० पुलिया निर्माण कार्य	सदर मुंगेर	300900.00	300900.00	MS006
05	बरियारपुर में श्री देवकीनन्दन सिंह घर होते हुए श्री मदन सिंह घर तक पी०सी०सी० निर्माण कार्य	बरियारपुर	299100.00	299100.00	MB008
06	हेरू दियारा में श्री सुनील यादव घर से विष्णुदेव यादव घर तक पी०सी०सी० निर्माण कार्य	सदर मुंगेर	249500.00	249500.00	MS013
योग-			<b>1702700.00</b>	<b>1702700.00</b>	

प्रशा० स्वी० की कुल राशि मो०-1702700.00 (सतरह लाख दो हजार सात सौ) रू० मात्र।

**शर्तें-**

- कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर यह सुनिश्चित करेंगे कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
- योजना कार्यान्वयन से पूर्व उस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रवैधिकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
- कार्यकारी एजेंसी योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप कराना सुनिश्चित करेंगे तथा वे इसके लिये पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- राशि का संधारण वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।
- किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन अयन्त्र नहीं होगा।
- कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य स्थल पर कार्य प्रारंभ कराये जाने के साथ साईन बोर्ड लगाया जायेगा जिसपर योजना का नाम, योजना का मद, प्राक्कलित राशि कार्यकारी एजेंसी का नाम, संवेदक का नाम तथा योजना पूर्ण होने की तिथि अंकित की जायेगी।

7. योजना के कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व इसका रंगीन फोटो लिया जाय तथा इसे अभिलेख में रखा जाय। इसी प्रकार एक रंगीन फोटो कार्य के मध्य में तथा एक फोटो योजना पूर्ण होने के पश्चात लिया जाय और इसे अभिलेख के साथ संलग्न कर रखा जाय।
8. योजना का कार्य अगले तीन माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
9. योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप से जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
10. कार्यकारी एजेंसी इस योजना में कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना स्थल सरकारी जमीन हो एवं वर्णित कार्य किसी अन्य मद से नहीं कराया जा रहा है।
11. योजना का एनओसी संबंधित विभाग से प्राप्त कर लेंगे।
12. संबंधित विधान मंडल सदस्य से योजनाओं के शिलान्यास/उदघाटन में विभागीय निदेशों का अनुपालन करेंगे।



जिला योजना पदाधिकारी  
मुंगेर।

- झापांक 735 / जि०यो०, दिनांक 31/12/14
- प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि- संयुक्त निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि- श्री संजय प्रसाद, माननीय सोवि०पो को सादर सूचनार्थ।

  
जिला योजना पदाधिकारी  
मुंगेर।